उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

नवीन विषय संयोजन
हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट

प्रस्तुतकर्ता

बृजमोहन सिंह रावत (संयुक्त सचिव)

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

रामनगर (नैनीताल)

हाईस्कूल – पूर्व व्यवस्था

(एक) हिन्दी (अनिवार्य विषय के रूप में उपहृत की जाएगी)

(दो) एक आधुनिक भारतीय भाषा (18 भाषाएँ)

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा (04 भाषाएँ)

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा (03 भाषाएँ)

(तीन) गणित अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए)

(चार) विज्ञान

(पॉच) सामाजिक विज्ञान

(छः) योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा

(सात) कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास

(आठ) कला शिक्षा

(नौ) एक अतिरिक्त विषय–

(क) यदि अनिवार्य विषय के रूप में द्वितीय भाषा के स्थान पर न लिया हो तब–

एक आधुनिक भारतीय भाषा (18 भाषाएँ)

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा (04 भाषाएँ)

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा (03 भाषाएँ)

(ख) वाणिज्य

(ग) पेन्टिंग

(घ) संगीत

(ड.) गृह विज्ञान

(च) सूचना एवम् प्रौद्योगिकी

(छ) कृषि

अति महत्वपूर्ण

अतिरिक्त विषय के अंकों को डिवीजन प्रदान करने हेतु जोड़ा नहीं जायेगा। अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु कृपांक भी देय नहीं होगा। केवल अतिरिक्त विषय की भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्थानान्तरण होने की स्थिति में इस अतिरिक्त भाषा को जिसने अब द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार कृपांक देय होगा।

हाईस्कूल– नवीन व्यवस्था

नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय के रूप में पूर्व में प्रचलित सात विषयों क्रमश वाणिज्य, पेन्टिंग, संगीत, गृह विज्ञान, सूचना एवम् प्रौद्योगिकी, कृषि के साथ एक नवीन विषय व्यावसायिक शिक्षा जोड़ा गया हैं। व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न में से कोई एक विषय लिया जा सकता है ।

(1) आई0टी0ई0एस0

(2) ऑटोमोबाइल

(3) रिटेल

(4) पेशेन्ट केयर

(5) सिक्योरिटी

(6) टूरिज्म

अति महत्वपूर्ण

अतिरिक्त विषय के अंकों को डिवीजन प्रदान करने हेतु जोड़ा नहीं जायेगा। अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु कृपांक भी देय नहीं होगा। केवल अतिरिक्त विषय की भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्थानान्तरण होने की स्थिति में इस अतिरिक्त भाषा को जिसने अब द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार कृपांक देय होगा। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का सामाजिक विज्ञान के स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में, जिसने अब सामाजिक विज्ञान का स्थान ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार कृपांक देय होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि परीक्षार्थी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय के तीनों भागों में कुल 25 प्रतिशत अंक अर्जित किये हों, साथ ही वह तीनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो ।

इण्टरमीडिएट – पूर्व व्यवस्था

- ✓ इण्टरमीडिएट परीक्षा पॉच विषयों में ली जाएगी –
- ✓ प्रथम विषय हिन्दी भाषा का अनिवार्य होगा, जिसमें संस्कृत विषय निम्नानुसार समाहित रहेगा। (हिन्दी 70 पूर्णांक एवं संस्कृत 30 पूर्णांक)
- ✓ अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय के रूप में योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय रहेगा। कक्षा–11 एवं 12 में आतंरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा।

- ✓ **द्वितीय, तृतीय एवम् चतुर्थ विषय–**किसी एक वर्ग के लिये जायेंगे।
- ✓ **पंचम् विषय–** कृषि वर्ग को छोड़कर किसी अन्य वर्ग सें एक विषय अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा भाषाओं हेतु विहित पाठ्यक्रम में अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवा उर्दू अथवा कोई एक भाषा अथवा अपने वर्ग से कोई एक विषयक का चयन कर सकता है, जो प्रथम विषय के रूप में न लिया गया हो।

इण्टरमीडिएट – नवीन व्यवस्था

इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा–11 तथा कक्षा–12 का पाठ्यक्रम) विनियम – 3 व्यावसायिक शिक्षा विषयों के सम्मिलित करने पर संशोधित नवीन पाठ्यक्रम

- ✓ इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित के अनुसार पॉच विषयों में परीक्षा ली जायेगी।

प्रथम विषय–उच्च माध्यमिक स्तर पर मानविकी, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में हिन्दी भाषा।

अथवा

अंग्रेजी

अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय

योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा

कक्षा–11 एवं 12 में आतंरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विषय किसी एक वर्ग के लिए जायेंगे।

पंचम विषय

कृषि वर्ग को छोड़कर किसी अन्य वर्ग से एक विषय अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा भाषाओं हेतु निम्नवत् विहित पाठ्यक्रम में से कोई एक विषय –

भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा जो परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा जो परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा जो परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

अथवा

अपने वर्ग से कोई एक विषय

नोट :–पंचम विषय में भाषा लेने पर सम्बन्धित भाषा प्रथम विषय के रूप में ली गयी भाषा से भिन्न होनी चाहिए।

मानविकी वर्ग

(2–4) निम्नलिखित विषयों में से कोई तीन विषय–

(एक) इतिहास

(दो) नागरिक शास्त्र

(तीन) गणित

(चार) अर्थशास्त्र

(पॉच) हिन्दुस्तानी संगीत/कर्नाटक संगीत

(छः) ड्राइंग एवं पेन्टिग **(सात)** समाजशास्त्र

(आठ) गृहविज्ञान **(नौ)** भूगोल

(दस) कम्प्यूटर **(ग्यारह)** सैन्य विज्ञान

(बारह) मनोविज्ञान अथवा शिक्षाशास्त्र अथवा तर्कशास्त्र

(तेरह) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय)

(1) आई0टी0ई0एस0 (2) आटोमोबाइल

(3) रिटेल (4) पेशेन्ट केयर

(5) सिक्यूरिटी (6) टूरिज्म

नोट 1 :– कम्प्यूटर विषय से केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे। परन्तु इस विषय के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट 2 :– व्यावसायिक शिक्षा विषयों को मानविकी वर्ग के अन्तर्गत विहित निर्धारित विषयों के साथ अन्य विकल्पों के रूप में शामिल किया जायेगा। मानविकी वर्ग के अन्तर्गत इन विषयों को शामिल करने से वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी अपने पॉचवे ऐच्छिक विषय के रूप में लेने का अवसर मिल सकेगा।

Thanks